Bundelkhand Journal of Academic Research

भारतीय सहकारी क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता का अध्ययन

डॉ. अमित कुमार सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र), गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।

(**Corresponding Author:** amitkumarsingh472@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.23005568

सारांश

यह शोध लेख सहकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और इससे महिलाओं के जीवन में हो रहे सामाजिक–आर्थिक उन्ननयन का विश्लेषण करता है। किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिये अनेक व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा समवेत प्रयास सहकार कहलाता है। अनेक व्यक्तियों या समूहों की समान उद्देश्य की पूर्ति के लिये सम्मिलित संस्था को सहकारी संस्था कहते हैं। सहकारिता एक व्यवसाय या संगठन है जिसका स्वामित्व और संचालन उन लोगों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है जो इसके लिए काम करते हैं। विभिन्न सहकारी समितियों से जुड़ने से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है, जिससे वे अपने पारिवारिक और सामाजिक निर्णयों में उनकी भागीदारी बढ़ रही है। सहकारी समितियों द्वारा महिलाएं भी अपनी आय, आत्मनिर्भरता और सामाजिक गतिशीलता में गुणात्मक बदलाव ला रहीं हैं। पर महिलाओं में औपचारिक शिक्षा की कमी, सामाजिक मान्यताएँ, बाधाएँ, वित्त का अभाव, संसाधनों तक सीमित पहुँच जैसी चुनौतियां अभी भी संरचनात्मक और संस्थागत बाधाओं के रूप विद्यमान हैं। इस शोध पत्र में सुझाव दिया गया है कि महिलाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रमों, वित्तीय सहायता कार्यक्रमों तथा सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए। इस प्रकार सहकारिता से महिलाओं को स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता सहित विभिन्न पहलुओं में महिलाओं की भागीदारी ने न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया है बल्कि उनके सामाजिक सशक्तिकरण में भी योगदान दिया है।

आलेख सूचना			
	प्राप्त: 29 जुलाई, 2026	**स्वीकृत:** 25 अगस्त, 2026	**प्रकाशित:** 30 सितंबर, 2026
	सारणी: 01	**चित्र एवं ग्राफ:** 00	**स्रोत एवं संदर्भ:** 14
	मुख्य शब्द: सहकार, सामुदायिकता, सहकारिता, महिलाएं, सहकारी संस्था, सशक्तिकरण।		

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि : अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुसार, सहकारी संगठन एक संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वैच्छिक रूप से एकजुट व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ है। सहकारी समिति एक स्वैच्छिक, सदस्य–स्वामित्व वाला संगठन है, जो लाभ–संचालित उद्यमों से अलग, स्व–सहायता, पारस्परिक सहायता और सामुदायिक कल्याण के माध्यम से आम आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बनाया गया है। सदस्यता के उत्तरदायित्व को बिना किसी लिंग, सामाजिक, जातीय, राजनैतिक तथा धार्मिक भेदभाव के स्वीकार करते है। सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित प्रजातांत्रिक संगठन हैं जो उनकी नीतियाँ निर्धारित करने और निर्णय लेने में सक्रिय तौर पर भाग लेते हैं। चुने गये प्रतिनिधियों के रूप में कार्यरत पुरूष तथा महिलाएं अपने सदस्यों के प्रति जवाबदेह होते हैं। प्राथमिक सहकारी समितियों में सदस्यों के मतदान करने के समान अधिकार होते हैं। (एक सदस्य, एक मत) और दूसरे स्तरों पर भी सहकारी समितियाँ प्रजातांत्रिक तरीके से आयोजित की जाती हैं। सदस्य समान रूप में अंशदान करते हैं और अपनी सहकारी समिति की पूंजी पर प्रजातांत्रिक तरीके से नियंत्रण रखते हैं। सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित एवं स्वावलम्बी संस्थाएं होती हैं। यदि वे सरकार सहित अन्य संगठनों के साथ करार करती हैं अथवा बाहरी स्रोतों से पूंजी जुटाती हैं, तो वे ऐसा उन शर्तों पर करती है जिनसे उनके सदस्यों द्वारा प्रजातांत्रिक नियंत्रण सुनिश्चित होता हो और उनकी सहकारी स्वायत्तता भी बनी रहती हो। सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों, चुने गये प्रतिनिधियों, प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों को शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है ताकि वे अपनी सहकारी समितियों के विकास में अपना कारगर योगदान कर सके। वे आम जनता विशेषरूप से युवाओं और परामर्शी नेताओं को, सहकारिता के स्वरूप और लाभों के बारे में सूचना देती है। सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों की सर्वाधिक कारगर ढंग से सेवा करती है और स्थानीय,

राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ढांचों के जरिए साथ–साथ काम करके सहकारिता आन्दोलन को सुदृढ़ बनाती है। सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों द्वारा अनुमोदित नीतियों के द्वारा अपने समुदायों के स्थाई विकास के लिए कार्य करती हैं। सहकारी संस्थाएँ ग्रामीण महिलाओं को आय–अर्जन गतिविधियों में सहभागिता हेतु सुगम प्रवेश उपलब्ध कराती हैं, साथ ही सुलभ आजीविका विकल्प, न्यायसंगत मूल्य निर्धारण, कौशल विकास तथा समावेशी शासन प्रदान करके अनेक आर्थिक समस्याओं का समाधान करती हैं तथा सामाजिक–आर्थिक सुदृढ़ता को बढ़ावा देती हैं।

1.1. अध्ययन के उदेश्य: यह अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों द्वारा निर्देशित है:

1. स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सहकारिता के ऐतिहासिकता और संवैधानिकता की जांच करना।
2. केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों और प्रशासनिक स्तर पर सफलता का आकलन करना।
3. महिलाओं की सहकारिता में भूमिका और सहकारिता का महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तीकरण पर पड़ रहे प्रभावों और चुनौतियों का विश्लेषण करना।

2. शोध पद्धति : यह शोध अध्ययन सहकारिता और महिलाओं की सहकारिता में भूमिका और उसके उन पर पड़ रहे प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए गुणात्मक सैद्धांतिक अनुसंधान पद्धति का उपयोग करता है। संबंधित उद्देश्य की पूर्ति हेतु गुणात्मक शोध पद्धति का उपयोग किया गया है। इस शोध पत्र में द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। इन आंकड़ों के संकलन हेतु सरकारी अभिलेखों, संबंधित साहित्यों का अध्ययन, प्रकाशित लेखों तथा जनसंख्या रिपोर्टों का अध्ययन किया गया है। शोध अध्ययन में सहकारिता के क्षेत्र तथा इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए विषयगत दृष्टिकोण और के लिए ऐतिहासिक–विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। सहकारिता नीति, विधायी सुधारों और प्रशासनिक पहलों के प्रभाव पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन कारकों पर भी बल दिया गया है जो महिलाओं की सहकारिता में भागीदारी, सहकारिता के क्षेत्र में महिलाओं के पहुंच, आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तीकरण को सकारात्मक और नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। सुझावों एवं निष्कर्षों की व्याख्या संरचनात्मक, सामाजिक और प्रशासनिक स्तरों पर बाधाओं के व्यापक ढांचे के भीतर की गई है। चूंकि यह शोध अध्ययन पूरी तरह से दस्तावेजी स्रोतों पर आधारित है, इसलिए इस अध्ययन प्राथमिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

3. सैद्धांतिक विश्लेषण : राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की रिपोर्ट के अनुसार "सहकारी समिति स्वैच्छिक रूप से एकजुट लोगों की एक स्वायत्त संस्था है, जो संयुक्त स्वामित्व और लोकतांत्रिक रूप से संचालित उद्यम के माध्यम से अपनी साझा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करते हैं"। भारत में 8 लाख से अधिक सहकारी समितियाँ हैं, जिनमें लगभग 2 लाख क्रेडिट और 6 लाख गैर–क्रेडिट सहकारी समितियाँ हैं। गैर–क्रेडिट सहकारी समितियाँ मुख्यतः आवास, डेयरी, श्रमिक, चीनी, उपभोक्ता, विपणन, मात्स्यिकी, वस्त्र, सेवा, प्रसंस्करण, अस्पताल जैसे अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। इसके अलावा, लगभग 30 करोड़ की कुल सदस्यता वाले सहकारी क्षेत्र में केवल प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) में ही 13 करोड़ से अधिक सदस्य हैं, जो देश भर में फैले हैं।

सहकारी प्रणाली में एनडीडीबी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए महिला डेरी सहकारिताओं को बढ़ावा देती है। पारंपरिक रूप से पशुपालन और कृषि श्रम में महिलाओं की भागीदारी 70 प्रतिशत से अधिक रही है । पर अब सहकारिता मॉडल ने उनके अदृश्य श्रम को आर्थिक अंशधारक और प्रबंधक के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। प्राथमिक उत्पादन, पशु प्रबंधन, दुग्ध संग्रहण, पोषण प्रबंधन, पशु स्वास्थ्य और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन की दैनिक प्रक्रियाओं को महिलाएं अधिक दक्षता से संभालने लगी हैं साथ ही संग्रहण केंद्रों का संचालन स्वचालित दुग्ध संकलन प्रणालियों के आने से वसा और एसएनएफ परीक्षण तथा पारदर्शी मूल्य निर्धारण में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो रही है। दुग्ध प्रसंस्करण एवं उत्पाद विविधीकरण में महिला सहकारी समितियां घी, पनीर, मक्खन, दही और पारंपरिक मिठाइयों जैसे उच्च–मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्माण से भी जुड़ी हैं। भूमिहीन और सीमांत महिला किसान सहकारी समूहों के माध्यम से पट्टे पर जमीन लेकर संयुक्त रूप से जैविक खेती, मौसमी सब्जियों और नकदी फसलों का उत्पादन करती हैं। साथ ही दाल मिलिंग, मसाला प्रसंस्करण, अचार–पापड़ निर्माण और जैविक शहद संग्रहण जैसे कृषि–सहायक उत्पादों को तैयार कर खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग कर सहकारी ब्रांड्स के तहत बाजार में बेचने के लिए भी तैयार करती हैं। महिला कारीगर और बुनकर अक्सर सहकारी समितियों का हिस्सा होती हैं जो पारंपरिक हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देती हैं। ये सहकारी समितियाँ पारंपरिक शिल्प को संरक्षित करने और ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए आय का स्रोत प्रदान करने में मदद करती हैं।

महिला डेयरी सहकारी समितियां राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और विभिन्न राज्य दुग्ध संघों (जैसे अमूल, नंदिनी, सुधा) के तहत विशेष रूप से महिलाओं द्वारा प्रबंधित हजारों समितियाँ सफलतापूर्वक कार्यरत हैं। महिला दुग्ध उत्पादक कंपनियां राजस्थान की मंजरी सखी और आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी जैसे संगठन पूरी तरह महिला शेयरधारकों द्वारा संचालित हैं। मुल्कनूर महिला सहकारी बैंक, आंध्र प्रदेशध्तेलंगाना में पूर्णतः ग्रामीण महिलाओं द्वारा

संचालित भारत का पहला स्वतंत्र महिला सहकारी बैंक है यह बैंक महिलाओं को बचत, ऋण और वित्तीय आत्मनिर्भरता प्रदान करने का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंजरी सखी उत्पादक कंपनी, धौलपुर, राजस्थान में है जो ग्रामीण आजीविका मिशन और सहकारिता मॉडल पर आधारित मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी है तथा यह पूरी तरह से महिला पशुपालकों द्वारा संचालित है, जिससे हजारों परिवारों की आय में प्रत्यक्ष वृद्धि हुई है। कुदुम्बश्री केरल में सामूहिक खेती, सूक्ष्म उद्यम और सामुदायिक सहकारिता का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसमें लाखों महिलाएँ सामूहिक कृषि और छोटे उद्योगों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर उत्पादन और विपणन करती हैं। सिक्किम हस्तशिल्प एवं हथकरघा सहकारिता द्वारा में पूर्वोत्तर भारत में पारंपरिक बुनाई और हस्तशिल्प से जुड़ी महिलाओं की सहकारी समितियाँ, जिन्होंने स्थानीय शिल्प को वैश्विक बाजार से जोड़ा है। भगीनी निवेदिता सहकारी बैंक, महाराष्ट्र में महिलाओं द्वारा स्थापित और प्रबंधित एक अग्रणी शहरी सहकारी बैंक है जो महिला उद्यमियों को कम ब्याज पर व्यवसाय ऋण और वित्तीय साक्षरता प्रदान करता है।

सारणी–1: भारत में क्षेत्र–वार प्राथमिक सहकारी समितियों की प्रगति का विवरण (जुलाई, 2026)

क्र. सं.	क्षेत्र	सहकारी समितियों की संख्या	कुल सदस्य	सहकारी समितियां (शहरी)	सदस्य (शहरी)	सहकारी समितियां (ग्रामीण)	सदस्य (ग्रामीण)
1	कृषि और संबद्ध सहकारी समिति	27376	7297995	3104	3188152	24272	4109843
2	कृषि–प्रसंस्करण/औद्योगिक सहकारी समिति	20984	3706216	11075	1299089	9909	2407127
3	मधुमक्खी पालन सहकारी समिति	365	48099	58	8752	307	39347
4	उपभोक्ता सहकारी समिति	22699	9531281	14762	5179884	7937	4351397
5	क्रेडिट और बचत सोसाइटी	83943	49363463	45476	32557220	38467	16806243
6	डेयरी सहकारी समिति	159754	13490245	4015	807770	155739	12682475
7	शिक्षा और प्रशिक्षण सहकारी समितियां	1614	4567551	480	1250004	1134	3317547
8	किसान सेवा समितियां	615	1879506	98	310226	517	1569280
9	मत्स्यपालन सहकारी समिति	27724	3805168	3641	921970	24083	2883198
10	हस्तशिल्प सहकारी समिति	5280	96669	2154	41587	3126	55082
11	हैंडलूम कपड़ा और बुनकर सहकारी समिति	19529	1739816	8742	735137	10787	1004679
12	आवास सहकारी समिति	195521	23317537	178900	21787860	16621	1529677
13	जूट और कॉयर सहकारी समिति	63	4622	32	3242	31	1380
14	खादी ग्रामोद्योग	233	32472	56	25157	177	7315
15	श्रम सहकारी समिति	47224	7240430	16440	1270438	30784	5969992
16	बड़े क्षेत्र की बहुउद्देशीय सोसाइटी	6201	6759990	212	427726	5989	6332264
17	पशुधन और पोल्ट्री सहकारी समिति	16828	1161776	1731	144494	15097	1017282
18	विपणन सहकारी समिति	10182	3846582	3144	2320183	7038	1526399
19	विविध क्रेडिट सहकारी समिति	7645	6084643	2055	2526850	5590	3557793
20	विविध गैर–क्रेडिट सहकारी समिति	35008	11483499	11417	4302417	23591	7181082
21	बहुउद्देशीय सहकारी समिति	22169	2737120	8298	1680655	13871	1056465
22	प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसाइटी (पीएसीएस)	106493	131212107	4725	16868127	101768	114343980
23	रेशम उत्पादन सहकारी समिति	734	80767	108	9087	626	71680
24	सामाजिक कल्याण और सांस्कृतिक सहकारी समिति	2540	687199	1245	383103	1295	304096
25	चीनी मिल सहकारी समिति	281	3885138	68	744562	213	3140576
26	पर्यटन सहकारी समिति	639	41328	172	17675	467	23653
27	परिवहन सहकारी समिति	4176	145549	1922	84200	2254	61349
28	आदिवासी–एससी/एसटी सहकारी समिति	2072	1397158	281	555036	1791	842122
29	शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)	1445	15238520	1336	14429654	109	808866
30	महिला कल्याण सहकारी समिति	26476	4701459	4095	821756	22381	3879703
	समग्र योग	**855813**	**315583905**	**329842**	**114702013**	**525971**	**200881892**

स्रोतः सहकारिता विभाग, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

4. महिला सहकारी समितियों द्वारा सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरणः महिला सहकारिताएँ ऋण, बैंकिंग, बीमा, आवास, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुँच को बढ़ाती हैं, जो पिछड़े क्षेत्रों में सेवा वितरण की खामियों को पूरा करती हैं। यह सहकारिताएँ वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता क्षमता भी विकसित करती हैं। सहकारिता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं रहा बल्कि अब यह सामाजिक बदलाव की नींव रखने लगा है। अब महिलाएं सहकारी समितियों से नियमित आय अर्जित करती हैं जो घर के दैनिक खर्चों, बचत और बड़ी परिसंपत्तियों की खरीद में उनकी सहमति महत्वपूर्ण होने लगी है। महिलाओं के आय का एक बड़ा हिस्सा बच्चों विशेषकर बालिकाओं की उच्च शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य पर खर्च होता है। साथ ही कम उम्र में विवाह के दबाव में भी कमी आने लगी है। वित्तीय स्वतंत्रता महिलाओं को उनके खुद के स्वास्थ्य, पोषण और चिकित्सा आवश्यकताओं पर स्वतंत्र निर्णय लेने का बल प्रदान करती है।

महिला का दर्जा परिवार में अब आश्रित से बदलकर सह–कमाऊ सदस्य का होने लगा है, जिससे परिवार के भीतर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी है। आर्थिक योगदान और सामुदायिक समर्थन नेटवर्क होने से घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न के मामलों में उल्लेखनीय कमी देखी जा रही है। घर के कार्यों और जिम्मेदारियों के पारंपरिक बंटवारे में लचीलापन आया है। नियमित नकद प्रवाह से परिवार की खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, जीवन स्तर और सामाजिक गतिशीलता में सुधार हुआ है। सहकारी लाभांश और बचत के जरिए महिलाएं पक्के मकान, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, एलपीजी कनेक्शन और घरेलू उपकरणों में भी निवेश करने लगी हैं। बैंक शाखाओं, प्रशासनिक कार्यालयों, बैठकों और प्रशिक्षण शिविरों में प्रतिभाग करने से महिलाओं का सामाजिक दायरा बढ़ा है, जिससे उनमें आत्मविश्वास और सार्वजनिक जीवन में उनकी गतिशीलता बढ़ी है। अमर्त्य सेन द्वारा प्रस्तुत सक्षमता दृष्टिकोण यह विश्लेषण किया जा सकता है कि सहकारिता महिलाओं की क्षमताओं और वास्तविक स्वतंत्रता को कैसे बढ़ाती है। और वहीं दूसरी ओर बीना अग्रवाल का 'बार्गेनिंग मॉडल' परिवार और समाज के भीतर संसाधनों और निर्णयों पर महिलाओं की सौदेबाजी क्षमता के अध्ययन के लिए उपयोगी है।

5. महिला सहकारी समितियों के समक्ष बाधाएं और चुनौतियाँ : सहकारी समितियों में महिलाओं की भागीदारी के सकारात्मक प्रभाव के बावजूद अभी भी अनेक चुनौतियाँ बनी हुई हैं। भारत में महिला सहकारी समितियों के निष्क्रिय होने के मुख्य कारणों में अपर्याप्त संस्थागत समर्थन, कमजोर वित्तीय संपर्क, प्रशिक्षण की कमी तथा सीमित बाजार पहुँच है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भूमि और संपत्ति का स्वामित्व और अचल संपत्तियां अधिकांशतः पुरुषों के नाम होती हैं। जिससे सहकारी बैंकों से आवश्यक बड़े ऋण और तकनीकी सब्सिडी प्राप्त करने में जटिल औपचारिकताएं बाधा बनती हैं। बैंकों के जटिल दस्तावेजीकरण, क्रेडिट स्कोर की आवश्यकताएं और औपचारिक वित्तीय तंत्र की शर्तें महिलाओं के लिए ऋण प्राप्ति को कठिन बना देती हैं। प्रतीकात्मक नेतृत्व, आरक्षण और नीतिगत प्रावधानों से महिलाएं पद तो प्राप्त कर लेती हैं, लेकिन व्यवहार में वित्तीय और प्रशासनिक निर्णय परिवार के पुरुष सदस्य (सरपंच/चेयरपर्सन पति सिंड्रोम) लेते हैं। प्राथमिक स्तर की समितियों में महिलाओं की संख्या भले ही अधिक हो लेकिन जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों राज्य सहकारी यूनियनों और राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष महासंघों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में महिलाओं की उपस्थिति बेहद कम होती है। इसके प्रमुख कारणों में 'ग्लास सीलिंग प्रभाव' और शीर्ष स्तर पर बहिष्करण माने जा सकते हैं। सहकारी नियमों, वित्तीय प्रशासन की समझ का अभाव, सहकारी उप–नियमों, वार्षिक बजट निर्माण, वैधानिक ऑडिट अनुपालन और बोर्ड बैठकों के संचालन के औपचारिक प्रशिक्षण की कमी के कारण महिला निदेशक अक्सर नीतिगत चर्चाओं में प्रभावी भूमिका नहीं निभा पातीं। सरकारी विभागों, रजिस्ट्रार कार्यालय, विपणन बोर्डों और नीति–निर्माताओं के साथ संवाद, पैरवी और सौदेबाजी के लिए आवश्यक औपचारिक और अनौपचारिक नेटवर्क में महिलाओं की पहुंच सीमित रहती है।

विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गहराई से जमी पितृसत्ता और लिंग आधारित अपेक्षाएँ प्रायः महिलाओं की स्वायत्तता को सीमित कर देती हैं। सीमित गतिशीलता, सामाजिक निगरानी और आत्मविश्वास की कमी उनके निरंतर सहभागिता में बाधा उत्पन्न करती है तथा ग्रामीण सहकारी संस्थाओं में महिलाएँ निम्न साक्षरता, सीमित शिक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी एवं विपणन में कौशल की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करती हैं। दोहरे कार्य, घरेलू जिम्मेदारियां, बच्चों की देखभाल और पशुपालन का प्राथमिक श्रम करने के बाद महिलाओं के पास सहकारी प्रबंधन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और बैठकों में भाग लेने के लिए समय की कमी रहती है। सौदेबाजी शक्ति के अभाव से महिलाओं के पास सरकारी विभागों, नौकरशाही और बाजार नियामकों के साथ संवाद व पैरवी हेतु औपचारिक प्रशासनिक नेटवर्क का अभाव रहता है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और सहकारी बैंकों के कम्प्यूटरीकरण के कारण रिकॉर्ड कीपिंग, खाता प्रबंधन और ऑनलाइन लेनदेन अनिवार्य होने से डिजिटल कौशल के अभाव में महिलाएं इन प्रक्रियाओं को समझने में समान्यतःअसमर्थ होती हैं। ई–मार्केटप्लेस और आधुनिक विपणन से दूरी, उत्पादों की ऑनलाइन लिस्टिंग, गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस, जेम पोर्टल और डिजिटल भुगतान प्रणालियों की कम समझ होने से महिला सहकारी समितियां प्रायः बिचौलियों या पुरुष परिजनों पर निर्भर रहती हैं। साइबर सुरक्षा, वित्तीय धोखाधड़ी का डर, डिजिटल उपकरण के उपयोग में समस्या उनके डिजिटल वित्तीय लेनदेन में बाधा बनता है। वर्ष 2023 की नीति आयोग की रिपोर्ट के

अनुसार भारत दुनिया के सबसे बड़े सहकारी आंदोलनों में से एक होने के बावजूद जहाँ लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियाँ हैं। वहाँ महिला–प्रधान सहकारी समितियों की हिस्सेदारी अभी भी कुल का केवल 2.52 प्रतिशत है।

6. भारत में महिला सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के उपाय : सहकारी समितियों में भारतीय महिलाओं की भागीदारी का उनके आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक स्थिति और समग्र विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और इस संदर्भ में उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर काबू पाने के प्रयास सरकार और महिलाओं दोनों के स्तर से ही जारी हैं। भारत सरकार ने सहकारी समितियों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल की हैं, जिसमें बहुराज्य सहकारी समितियां (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 को एमएससीएस (संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से संशोधित किया गया और बोर्ड में महिलाओं के लिए 2 सीटों के आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। सहकारिता मंत्रालय द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के बोर्ड में महिला निदेशकों की जरूरत को अनिवार्य किया गया है। इससे 1 लाख से अधिक पैक्स में महिलाओं का जमीनी स्तर पर सहकारी प्रबंधन में प्रतिनिधित्व और निर्णय लेना सुनिश्चित हुआ। स्वयंशक्ति सहकारी योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को सामूहिक सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त बैंक ऋण की सुविधा के लिए 3 साल तक के लिए कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाता है। नंदिनी सहकार योजना के तहत महिला सहकारी समितियों को 5–8 साल तक की अवधि के लिए सावधि ऋण प्रदान किया जाता है, जिस पर 2 फीसदी तक की ब्याज छूट दी जाती है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की महत्वपूर्ण पहलों में स्वयं शक्ति सहकार योजना महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण की सुविधा के लिये कार्यशील पूँजी ऋण प्रदान करती हैं।

7. परिणाम एवं परिचर्चा : भारतीय सहकारी क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास का महत्वपूर्ण आधार है। सहकारी संस्थाएँ महिलाओं को केवल सदस्य के रूप में जोड़ने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्हें उत्पादन, वित्त, विपणन, उद्यमिता, निर्णय–निर्माण और नेतृत्व के अवसर भी प्रदान करती हैं। भारत में सहकारी आंदोलन कृषि, डेयरी, मत्स्य, हस्तशिल्प, श्रम, उपभोक्ता, बैंकिंग, विपणन और सेवा जैसे अनेक क्षेत्रों में फैला हुआ है। सहकारी संस्थाएँ महिलाओं को व्यक्तिगत स्तर की आर्थिक गतिविधियों से आगे बढ़ाकर सामूहिक आर्थिक शक्ति प्रदान करती हैं। सामूहिक खरीद, उत्पादन और विपणन के माध्यम से लागत कम करने तथा उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त करने की संभावना बढ़ती है। विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए सहकारिता आय के अतिरिक्त स्रोत का निर्माण, स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा, बचत एवं ऋण की सुविधा, बाजार तक पहुँच, कौशल एवं प्रशिक्षण, आर्थिक निर्णयों में भागीदारी, सामूहिक सौदेबाजी की क्षमता, सामाजिक एवं राजनीतिक नेतृत्व का विकास में उपयोगी हैं। नीति आयोग ने भी सहकारी आंदोलन को महिलाओं को मुख्यधारा में लाने और सतत आर्थिक विकास में उनकी भूमिका बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम माना है।

महिलाओं की सहभागिता बढ़ रही है, लेकिन अभी भी सहकारी क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व सभी क्षेत्रों में समान नहीं है। नीति आयोग के एक अध्ययन में उद्धृत आँकड़ों के अनुसार 2021 में भारत की कुल सहकारी समितियों में केवल लगभग 2.52 प्रतिशत समितियाँ ऐसी थीं जो पूर्णतः महिलाओं की थीं। इसी अध्ययन में अमूल और लिज्जत जैसे महिला–केंद्रित सहकारी आंदोलनों की सफलता को रेखांकित किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं की सहकारी सदस्यता और वास्तविक नेतृत्वधनिर्णय–निर्माण में भागीदारी के बीच अभी भी अंतर है। डेयरी सहकारिता महिलाओं की आर्थिक सहभागिता का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दुग्ध उत्पादन में महिलाओं की पारंपरिक भूमिका को सहकारी व्यवस्था ने बाजार, तकनीक, प्रशिक्षण और सामूहिक विपणन से जोड़ने का अवसर दिया है। अमूल मॉडल इसका प्रमुख उदाहरण है। नीति आयोग के अनुसार अमूल से संबंधित सहकारी व्यवस्था ने लाखों किसान परिवारों को जोड़ा है और महिलाओं की भागीदारी ने ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में योगदान दिया है।

महिलाओं की वास्तविक सहभागिता का मूल्यांकन केवल सदस्यता की संख्या से नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए केवल महिलाओं को समिति का सदस्य बनाना पर्याप्त नहीं हैय उन्हें निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति प्रदान करना आवश्यक है। यह देखना भी आवश्यक है कि महिलाएँ सदस्य→ सक्रिय सदस्य→ समिति की प्रतिनिधि→ प्रबंधकीय भूमिका→ नेतृत्वकारी भूमिका तक किस सीमा तक पहुँच रही हैं। इस दिशा में हाल के नीतिगत कदम महत्वपूर्ण हैं। बहुराज्यीय सहकारी समितियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए 2023 के संशोधन के तहत बोर्ड में महिलाओं के लिए दो सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार पीएसीएस की आदर्श उपविधियों में भी महिलाओं तथा अनुसूचित जातिध्जनजाति को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देकर सदस्यता को अधिक समावेशी बनाने का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सहकारी क्षेत्र में नीति और संस्थागत स्तर पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। सहकारिता मंत्रालय का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को जमीनी स्तर तक मजबूत करना तथा सहकारी आधारित आर्थिक मॉडल को विकसित करना है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 भी सहकारी आंदोलन में महिलाओं को महत्वपूर्ण हितधारक के रूप में देखती है। सरकार ने सहकारी समितियों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के

लिए विभिन्न पहलें की हैं। बहु–राज्य सहकारी समितियां (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 को एमएससीएस (संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से संशोधित किया गया, जिसमें एमएससीएस के बोर्ड में महिलाओं के लिए दो सीटों के आरक्षण के लिए एक विशिष्ट प्रावधान किया गया, जिसे अनिवार्य कर दिया गया है। इससे सहकारी क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त होगा। सहकारिता मंत्रालय द्वारा पैक्स के लिए मॉडल उपनियम तैयार किए गए हैं और देश भर के राज्योंध्केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए गए हैं। इसमें पैक्स के बोर्ड में महिला निदेशकों की आवश्यकता को अनिवार्य किया गया है। इससे 1 लाख से अधिक पैक्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व और उनके द्वारा निर्णय लेना सुनिश्चित हो रहा है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सांविधिक निगम है, जो पिछले कई वर्षों से महिला सहकारी समितियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे उन्हें व्यवसाय मॉडल आधारित गतिविधियाँ अपनाने में सक्षम बनाया जा सके। एनसीडीसी विशेष रूप से महिला सहकारी समितियों के लिए दो योजनाओं को लागू कर रहा है। स्वयं शक्ति सहकारी योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सामान्य/सामूहिक सामाजिक–आर्थिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त बैंक ऋण की सुविधा के लिए 3 वर्ष तक के लिए कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाता है। जबकि नंदिनी सहकार योजना के तहत महिला सहकारी समितियों को 5 से 8 वर्ष की अवधि के लिए सावधि ऋण प्रदान किया जाता है, जिसमें सावधि ऋण पर 2 प्रतिशत तक की ब्याज छूट दी जाती है। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता एनसीडीसी को सौंपे गए व्यवसाय योजना आधारित गतिविधिध्सेवा के लिए प्रदान की जाती है।

इस तरह भारतीय सहकारी क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता आर्थिक सशक्तीकरण से आगे बढ़कर सामाजिक परिवर्तन और नेतृत्व निर्माण की प्रक्रिया है। डेयरी, कृषि, हस्तशिल्प, बैंकिंग, श्रम और सेवा क्षेत्र में सहकारिता ने महिलाओं को सामूहिक शक्ति प्रदान की है। फिर भी सदस्यता की तुलना में निर्णय–निर्माण और नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी को और मजबूत करने की आवश्यकता है। इसलिए महिलाओं के लिए सहकारी संस्थाओं में सदस्यता, वित्तीय संसाधन, कौशल प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता, बाजार संपर्क और नेतृत्व के अवसर सुनिश्चित किए जाने चाहिए। इससे सहकारिता केवल आर्थिक संस्था न रहकर महिला सशक्तीकरण और समावेशी ग्रामीण विकास का प्रभावी माध्यम बन सकती है।

निष्कर्ष एवं सुझाव : उपर्युक्त विश्लेषण से हम यह कह सकते हैं कि सहकारिताओं में महिलाओं को दक्षता, क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य रक्षा, पोषण, प्रबन्धकीय सक्षमता, विपणन दक्षता, नेतृत्व विकास, समस्याओं के सुलझाव की क्षमता, आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण, शिक्षा और सूचना जैसी मानव संसाधन विकास की अधिकाधिक गतिविधियों की आवश्यकता होती है, जिससे वे अपने आप में विश्वास पैदा कर सकें और अपनी शक्तियों और दायित्वों का भली प्रकार निर्वहन कर सकें। महिलाओं को मानव संसाधन विकास का प्रशिक्षण देते समय लिखित सामग्री देनी चाहिए जो निरक्षर महिलाओं के लिए लाभप्रद बन सकें। प्रशिक्षण और शिक्षण कार्यक्रमों के दौरान सहकारी नीतियों, मिशन वक्तव्य, सहकारी समिति के उद्देश्यों, रणनीतियों वैधानिक प्रावधानों, योजनाओं और कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। संस्थागत और वित्तीय सहायता पेशेवर मार्गदर्शन, कौशल निर्माण और बाजार संपर्क के माध्यम से निष्क्रिय सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करना होगा। कम ब्याज दर पर ऋण, उपकरणों तक पहुँच सुनिश्चित करना, बेहतर स्थायित्व, बाजार पहुँच, ई–कॉमर्स और जेम जैसे प्लेटफार्मों से जुड़े क्लस्टर आधारित मॉडल को बढ़ावा देना होगा। अवैतनिक कार्य को मान्यता देना और समय की कमी को दूर करना महिलाओं के अवैतनिक कार्य को कम करने के लिये सामुदायिक बाल देखभाल, साझा घरेलू भूमिकाएँ और समय बचाने वाले बुनियादी अवसरंचना को बढ़ावा देना होगा, जिससे वे सहकारी समितियों जैसी आर्थिक गतिविधियों में अधिक संलग्न हो सकेंगी। पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिये पीएसीएस और कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का कंप्यूटरीकरण करते हुए विपणन, प्रशिक्षण एवं वित्तीय समावेशन के लिये डिजिटल प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन (आईएलओ) ने सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में सहकारी मॉडल को सक्रिय से बढ़ावा दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है, जिसका विषय है "सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने में सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष नीतियों को नया रूप देने और इसमें सबसे आगे रहने वाली महिलाओं को सशक्त बनाने का एक उचित अवसर प्रदान करता है। सहकारी समितियां व्यक्तियों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के अनेकों विकल्प प्रदान करती हुई नजर आ रही हैं। दुनिया ने पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों मॉडलों को अपनाया लेकिन सहकारी मॉडल सबसे उपयुक्त साबित हुआ है। वर्तमान असंतुलित विकास को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सहकारी मॉडल को लोकप्रिय बनाना होगा और इससे न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। सहकारिता भारत में महिलाओं के लिये सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य को बदल सकती है। उचित संसाधनों, प्रशिक्षण और नेतृत्व के साथ सशक्त महिला सहकारी समितियाँ आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन ला सकती हैं।

स्रोत एवं संदर्भः

1. भारत सरकार (2026, 4 फरवरी). महिला कोऑपरेटिव संस्थाएं और आर्थिक एम्पावरमेंट. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार.
2. एनसीयूआई (2026). कोऑपरेटिव में जेंडर–बेस्ड पॉलिसी पर आईसीए–एपी स्टडी का प्रसार. नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली।
3. एनसीयूआई (2025). एनुअल रिपोर्ट 2024–25. नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली।
4. भारत सरकार (2024, 4 दिसंबर). कोऑपरेटिव्स में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार.
5. शाह, अमित (2023)। सहकार से समृद्धिः योजना से उपलब्धि तक। योजना, वर्ष–67, अंक–7, पृष्ठ–5, जुलाई 2023, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
6. मधुसूदन, गजेन्द्र सिंह (2023)। सहकारिता से ग्रामीण समृद्धि। कुरुक्षेत्र, वर्ष–69, अंक–3, पृष्ठ–44, जनवरी 2023, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
7. पटेल, डॉ. नीलम, डॉ. तनु सेठी (2023)। सहकारिता में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी। कुरुक्षेत्र, वर्ष–69, अंक–3, पृष्ठ–17, जनवरी 2023, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
8. शेखावत, महेन्द्र, स्वेच्छा मित्तल, गुरमीत कौर (2021)। भारत में सहकारी आंदोलन का इतिहास। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड साइंस रिसर्च रिव्यू, वॉल्यूम–8, अंक–3 मई–जून–2021, पृष्ठ 138–148 ।
9. कुमार, ए. (2020)। भारत में सहकारी बैंकों की संरचना और वित्तीय स्थिरता पर अध्ययन। सहकार प्रकाशन, नई दिल्ली
10. आईएलओ (2018). इनफॉर्मल इकॉनमी में महिला वर्कर्स के बीच कोऑपरेशन को आगे बढ़ानाः सेवा का तरीका. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन, जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
11. सिंह, कुमार अरुण (2017) मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियां। मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स.
12. आईएलओ (2016). कोऑपरेटिव्स में महिला एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी पर आईएलओ कुआप पब्लिकेशन्स. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन, जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
13. आईएलओ (2015). एडवांसिंग जेंडर इक्वालिटीरू द कोऑपरेटिव वे, इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन, जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
14. टांगीराला, एच. एस. के. (2004)। 'लैंगिक मुद्दे और सहकारिताएं'। कुरुक्षेत्र, वर्ष–50, अंक–12, पृष्ठ–55, अक्तूबर 2004, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।

=====

आलेख उद्धरित करें :	सिंह, डॉ. अमित कुमार (2026)। भारतीय सहकारी क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता का अध्ययन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–3, जुलाई–सितंबर, 2026, पृष्ठ 20–26। https://doi.org/10.5281/zenodo.23005568